168

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–249–एंक/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–01–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–161/अपील/2000–01

.....

व्यास कुमार दीक्षित तनय शोमनाथ दीक्षित
निवासी–ग्राम सितलहा, तहसील त्यौंथर
जिला–रीवा(म0प्र0)

------आवेदक

विरूद्ध

मुस0 धोखिया पत्नी श्री सूर्यदीन मल्लाह
निवासी– ग्राम सितलहा, तहसील त्यौंथर
जिला–रीवा(म0प्र0)

------अनावेदिका

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 22/9/2017 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–01–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम सितलहा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 183 रकबा 0.44 एकड़, पर कब्जा इन्द्राज करने हेतु आवेदन पत्र अपर तहसीलदार जवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर

तहसीलदार जवा ने प्रकरण क्रमांक 11/अ-6-अ/1999-2000 में दिनांक 12.11.1999 से उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया। अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.11.1999 के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर के समक्ष प्रथम अपील मय अवधि विधान की धारा 5 कर आवेदन पत्र प्रस्तुत की । जहां पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्र0 क्र0 117/अ-6/अपील/1999-2000 में दिनांक 12.12.2000 को आदेश पारित कर अनावेदिका की अपील स्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक-161/अपील/2000-01 में दिनांक 17.01.2002 से अपील निरस्त करते हुये, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया गया । उनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 183 रकबा 0.44 एकड़ पर कब्जा इन्द्राज किये जाने हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अपर तहसीलदार ने पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया, जिसमें पाया गया कि वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में आवेदक के पिता और अब आवेदक काबिज है। अपर तहसीलदार ने पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के कब्जा इन्द्राज किये जाने का आदेश पारित किया। जबकि खसरा पंचशाला के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर मूल भूमिस्वामी के रूप में अनावेदिका नाम दर्ज है। आवेदक ने विचारण न्यायालय में ऐसा कोई प्रामाणित साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं किया, जिससे की वह उक्त भूमि पर अधिकार प्राप्त कर सके। प्रश्नाधीन आदेश पारित करने के पूर्व अपर तहसीलदार ने न तो अनावेदिका को कोई नोटिस नहीं दिया और न इश्तहार ही जारी किया । जबकि अपर

तहसीलदार को विधिक कार्यवाही करते हुये हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करना चाहिये था, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही किये बिना ही आदेश पारित किया है, जो कि अनुचित आदेश है। जहॉ तक कब्जा इन्द्राज किये जाने का प्रश्न है, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता में कब्जा इन्द्राज करने का प्रावधान उल्लेखित नहीं है। संहिता की धारा 115–116 में खसरा तथा किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों में गलत प्रविष्टि का वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण– यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक् लिखित सूचना देने के पश्चात सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी पूछ–ताछ करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे, उसमें आवश्यक परिवर्तन (लाल स्याही से) किये जाने का निर्देश देगा, किन्तु नवीन कब्जा इन्द्राज किये जाने का आदेश देने का अधिकार अपर तहसीलदार को नहीं है। ऐसी स्थिति में अपर तहसीलदार ने कब्जा इन्द्राज का जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक आदेश है। अनुविभागीय अधिकारी ने विधिक कार्यवाही करते हुये अपर तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती और इसी कारण अपर आयुक्त ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर विस्तारपूर्वक आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 17–01–2002 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,